128

पुनरीक्षण याचिका कमांक ..../17
प्रस्तुति दिनांक : –03–2016

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)
(केम्प इंदौर के समक्ष)

R 971-PBR-17

1. शेख मुस्ताक पिता शेख इकबाल
उम्र :– वयस्क वर्ष, धंधा :– काश्तकारी
निवासी जयस्तम्भ के पास शनवारा
तहसील व जिला बुरहानपुर
2. शेख असफाक पिता शेख इकबाल
उम्र :– वयस्क वर्ष, धंधा :– काश्तकारी
निवासी जयस्तम्भ के पास शनवारा
तहसील व जिला बुरहानपुर ....याचिकाकर्तागण

वि रू द्ध

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ..... द्वारा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 4-03-17
को प्रस्तुत।
131
04-03-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. मनोहर पिता लक्ष्मीचंद कामरानी
उम्र :– 40 वर्ष, धंधा :– व्यापार एवं कृषि
निवासी सिंधी बस्ती बुरहानपुर
तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
2. लध्दाराम पिता लख्मीचंद खटवानी
उम्र 68 वर्ष व्यवसाय व्यापार
निवासी सदर
3. श्रीमती चन्द्रकला पति आनंदपाल सिंह राजपूत
उम्र वयस्क धंधा गृह कार्य
निवासी शिवाजी नगर भोपाल जिला भोपाल म.प्र. ....अनावेदकगण/प्रत्यर्थी

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत्

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :–

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय तहसीलदार खकनार जिला बुरहानपुर (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण कमांक 43/13/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–03–2016 एवं न्यायालय कलेक्टर जिला बुरहानपुर के पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 1/15–16 में पारित आदेश दिनांक 10.01.17 जिसमें क्षेत्राधिकार नही होने से पुनरीक्षण समाप्त की से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 971-पीबीआर/2017 जिला बुरहानपुर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	